

**अध्यक्ष, सीबीएसई और
सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को पत्र
जम्मू और कश्मीर को छोड़कर**

विषय: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पूरा करने की समयावधि को बढ़ाना।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिनांक 09 अप्रैल, 2013 के अपने पत्र संख्या फा. 76-1/2011/एनसीटीई/अकाद द्वारा एनसीटीई दिशानिर्देशों के खंड 7 में यथा निर्धारित समयावधि को टीईटी संचालित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने और उस पर निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, छह महीने की अवधि के लिए 1.30 घंटे से बढ़ाकर 2.30 घंटे कर दिया था।

एनसीटीई के दिनांक 9 अप्रैल, 2013 के पत्र में यथा निर्धारित बढ़ाई गई समयावधि को इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक आगे बढ़ाया जाता है।

भवदीय,

ह/-

**(डॉ. अनिल शुक्ला)
उप सचिव**